

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली
पीठासीन अधिकारी :: डॉ बजरंग सिंह, आर.ए.एस.

गुण्डा एक्ट प्र.सं. : 04/2026

GCMS Case No. 2026/04

सायल—
सरकार जरिये जिला पुलिस अधीक्षक
पाली

बनाम
गैरसायल—
तेजाराम पुत्र हिम्मताराम, जाति देवासी,
निवासी देवाण पुलिस थाना जैतपुर,
जिला पाली

“इस्तगासा अन्तर्गत धारा 2(ख)(V)/3 राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975”

उपस्थित :

1. सायल की ओर से लोक अभियोजन अधिकारी, पाली।

—:निर्णय:—

दिनांक – 18.02.2026

सायल जिला पुलिस अधीक्षक पाली की ओर से दिनांक 19.12.2025 को गैरसायल तेजाराम पुत्र हिम्मताराम, जाति देवासी, निवासी देवाण पुलिस थाना जैतपुर, जिला पाली के विरुद्ध राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा 2(ख)(5)/3 के अन्तर्गत परिवाद/सूचना प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया कि गैरसायल पुलिस थाना जैतपुर जिला पाली का आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति हैं, जिसके खिलाफ वर्ष 2012 से इस्तगासा पेश करने की अवधि में 8 आपराधिक प्रकरण दर्ज हुए हैं। जिनमें से 03 गैरसायल को दोषसिद्ध घोषित किया जाकर अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है, जिनका विवरण निम्नानुसार है:—

क्र.स.	मुकदमा नम्बर	धारा	नतिजा पुलिस	नतिजा अदालत
1	109/13.07.2012	धारा 19/54 आबकारी अधिनियम	चालान न. 74/24.07.2012	दिनांक 29.11.2012
2	175/11.10.2013	धारा 19/54 आबकारी अधिनियम	चालान न. 134/31.10. 2013	दिनांक 17.06.2019 को बरी
3	226/28.11.2014	धारा 19/54 आबकारी अधिनियम	चालान न. 159/30.11. 2013	दिनांक 06.12.2019 को 4 पीओ एक्ट के तहत पांबद व 5000 रुपये अर्थदण्ड किया गया
4	77/26.04.2015	धारा 19/54 आबकारी अधिनियम	चालान न. 50/30.04.2015	दिनांक 27.06.2013 को 4 पीओ एक्ट के तहत पांबद व 200 रुपये अर्थदण्ड किया गया
5	69/14.04.2021	धारा 19/54 आबकारी अधिनियम	चालान न. 42/30.04.2021	जैर ट्रायल
6	115/07.07.2022	धारा 19/54 आबकारी अधिनियम	चालान न. 62/31.07.2022	जैर ट्रायल
7	47/02.04.2022	धारा 19/54 आबकारी अधिनियम	चालान न. 39/31.05.2022	जैर ट्रायल



अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली

क्र.स.	मुकदमा नम्बर	धारा	नतिजा पुलिस	नतिजा अदालत
8	34/28.09.2024	धारा 19/54 आबकारी अधिनियम		जैर ट्रायल

उपरोक्त दर्ज चालान सुदा प्रकरणों एवं रोजनामचा आम में दर्ज रपटों से यह बखूबी साबित है कि गैरसायल तेजाराम पुत्र हिम्मताराम, जाति देवासी, निवासी देवाण पुलिस थाना जैतपुर, जिला पाली निरन्तर शराब के धन्धे में लिप्त है। जो आदतन अपराधी होने से आम जनता में भय व्याप्त है एवं लोग गैरसायल के भय से पुलिस को सूचना देने से कतराते हैं। निरन्तर अपराध करने से जनता में दुष्प्रभाव पड़ता है व पुलिस की छवि पर भी लोगो का अविश्वास प्रकट होने की पूर्ण संभावना बनी रहती है। अतः इस्तगासा बरखिलाफ गैरसायल के अन्तर्गत धारा 2(ख)(5)/3 राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त अपराधी को गुण्डा घोषित कर जिले से निष्कासन हेतु कानूनी कार्यवाही करावे।

सायल की ओर से पेश प्रकरण इस न्यायालय में पंजीबद्ध किया गया। उक्त परिवाद/सूचना पर यह न्यायालय प्रथम दृष्टया संतुष्ट होकर कि गैरसायल के विरुद्ध धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 के तहत कार्यवाही करने के पर्याप्त आधार पत्रावली पर मौजूद है। जिस पर गैरसायल के विरुद्ध लगाये गये आरोपों की सामान्य प्रकृति की सूचना हेतु धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 का नोटिस मय जिला पुलिस अधीक्षक पाली की सूचना/परिवाद की तामिल करवाई गई। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

प्रकरण में लोक अभियोजन अधिकारी ने अपनी बहस में कथन किया कि गैरसायल पुलिस थाना जैतपुर जिला पाली का बदमाश व्यक्ति है, जिससे विरुद्ध विभिन्न प्रकरण न्यायालय में दर्ज है तथा गैरसायल को विभिन्न प्रकरणों में दोषसिद्ध घोषित किया गया है। गैरसायल का आम जनता में इतना भय है कि लोग इसके विरुद्ध सूचना देने में भी कतराते हैं, जिससे आम जनता में पुलिस की छवि पर दुष्प्रभाव पड़ता है। गैरसायल आदतन अपराधी है, जो बावजूद सजा के भी निरन्तर अपराध में लिप्त है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार करावें एवं गैरसायल को गुण्डा घोषित कराते हुए जिले से निष्कासन के आदेश पारित करावें।

हमने श्रवणसुदा बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन, अनुशीलन एवं विश्लेषण किया। पत्रावली के संलग्न दस्तावेजात् के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि गैरसायल के विरुद्ध मुकदमा नम्बर 226/28.11.2014, अन्तर्गत धारा 19/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम के तहत कार्यवाही करते 5000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। इसी प्रकार माननीय न्यायालय ने गैरसायल के विरुद्ध मुकदमा नम्बर 77/26.04.2015, अन्तर्गत धारा 19/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम



बतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली

के तहत कार्यवाही करते हुए 200 रुपये का जुर्माना लगाया गया। है। उपरोक्त प्रकरणों को दृष्टिगत रखते हुए गैरसायल राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 की धारा 2(ख)(5)/3 के तहत गुण्डा की श्रेणी में आता है।

पत्रावली पर उपलब्ध रेकॉर्ड एवं दस्तावेजात् के आधार पर तेजाराम पुत्र हिम्मताराम, जाति देवासी, निवासी देवाण पुलिस थाना जैतपुर, जिला पाली को गुण्डा घोषित किया जाता है तथा राजस्थान गुण्डा अधिनियम, 1975 की धारा 2(ख)(5) के तहत दो माह की अवधि के लिए पुलिस थाना जैतपुर, जिला पाली से निष्काषित कर पुलिस थाना भाद्राजून जिला जालोर के नियन्त्रण में रखे जाने के आदेश दिये जाते हैं। गैरसायल आज की तारीख से 15 दिवस पश्चात अर्थात् दिनांक 05.03.2026 से 60 दिन के लिये पुलिस थाना भाद्राजून जिला जालोर में सप्ताह में एक बार अपनी उपस्थिति देगा तथा थानाधिकारी पुलिस थाना भाद्राजून जिला जालोर गैरसायल की उपस्थिति सुनिश्चित करेंगे एवं रिपोर्ट इस न्यायालय को प्रेषित करेंगे। गैरसायल इस अवधि में नेकचलन रहेगा तथा सदाचार एवं शांति बनाये रखेगा। गैरसायल अपने पास किसी प्रकार का मादक पदार्थ हथियार/शस्त्र नहीं रखेगा तथा किसी आपराधिक गतिविधि में कर्ता/दुष्प्रेरक के रूप में भाग नहीं लेगा एवं न ही किसी आपराधिक कार्य में सहायता करेगा। गैरसायल तेजाराम पुत्र हिम्मताराम, जाति देवासी, निवासी देवाण पुलिस थाना जैतपुर, जिला पाली इस आदेश की पालना हेतु स्वयं का मुचलका 10 हजार रुपये एवं इसी कदर मौतबिर जमानत अधिनियम की धारा 7 के तहत पेश कर तस्दीक करायेगा। थानाधिकारी पुलिस थाना जैतपुर जिला पाली गैरसायल तेजाराम पुत्र हिम्मताराम, जाति देवासी, निवासी देवाण पुलिस थाना जैतपुर, जिला पाली को पुलिस अभिरक्षा में उक्त नियत तिथि को पुलिस थाना भाद्राजून जिला जालोर की सीमा में पहुंचाने की व्यवस्था सुनिश्चित करें। थानाधिकारी पुलिस थाना भाद्राजून जिला जालोर उनके यहां गैरसायल की उपस्थिति की सूचना इस न्यायालय को भिजवाना सुनिश्चित करेंगे एवं थानाधिकारी पुलिस थाना जैतपुर जिला पाली अपने थाना क्षेत्र में गैरसायल के वापस लौटने की सूचना इस न्यायालय को प्रेषित करेंगे। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपी तहरीर के साथ थानाधिकारी पुलिस थाना भाद्राजून जिला जालोर एवं थानाधिकारी पुलिस थाना जैतपुर जिला पाली को भिजवाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 18.02.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. बजरंग सिंह)

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली

